

Rule 106 : Form and manner of appeal to the Appellate Authority for Advance Ruling

- (1) An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 shall be made by an applicant on the common portal in **FORM GST ARA-02** and shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees to be deposited in the manner specified in section 49.
- (2) An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 shall be made by the concerned officer or jurisdictional officer referred to in section 100 on the common portal in **FORM GST ARA-03** and no fee shall be payable by the said officer for filing the appeal.
- (3) The appeal referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2), the verification contained therein and all relevant documents accompanying such appeal shall be signed,-
 - (a) in case of the concerned officer or jurisdictional officer, by an officer authorised in writing by such officer; and
 - (b) in the case of an applicant, in the manner specified in rule 26.

नियम 106 : अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अपील का प्ररूप और रीति

- (1) आवेदक द्वारा, धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एआरए-2** में की जाएगी और उसके साथ दस हजार रूपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी।
- (2) धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपील सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एआरए-3** में धारा 100 में निर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या अधिकारिता अधिकारी को की जाएगी और अपील फाइल करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी।
- (3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अपील, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसी अपील के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों को,—
 - (क) संबंधित अधिकारी या अधिकारिता वाले अधिकारी की दशा में, ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा; और
 - (ख) किसी आवेदक की दशा में, नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से, हस्ताक्षरित होंगे।